तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो बिना हुक्म की तामील में जारी हुए
24/1/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 07 R 11 एवं कायम मुकामान प्रार्थनापत्र पेश हुई। वादी (प्रतिवादी 2) द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 R 11 इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण द्वारा गलत तथ्य से यह वाद प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि मोतीलाल जी के पन्नीबाई नाम की कोई पुत्री नहीं थी, और ना ही कभी उसका नाम रिकार्ड में था। और न ही मोतीलाल जी के मरने के बाद रिकार्ड में आया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी केसर बाई की मृत्यु के बाद उनके खाते की आराजी का जो फौती इन्तकाल खुला, उसमें भी पन्नीबाई का कोई नाम नहीं है। इस कारण वाद स्वयं दुरुस्ता खारिज किये जाने योग्य है। वादी (प्रतिवादी 2) द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि वादीगण द्वारा मृतक	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़

उपखण्ड अधिकारी
छोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/	व्यक्ति मुरलाल के विरुद्ध दावा पेश किया है। मुरलाल की मृत्यु 28/12/15 को ही हो चुकी थी, और दावा 8/2/16 को पेश किया गया है। इस प्रकार मृतक व्यक्ति के विरुद्ध पेश किया गया वाद कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। वादी (प्रतिवादी 2) द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि उक्त आराजी का संयुक्त खातेदारान के मध्य विधिवत बँटवारा हो चुका है और सभी अपने हिस्से की आराजी अन्य व्यक्तियों को विक्रय भी कर चुके हैं। समस्त खरीददार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी के रिकॉर्ड खातेदार हैं, जिनको न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही उनके विक्रयपत्रों को निरस्त कराने का वाद विधिवत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उक्त वाद O1 R 9 एवं धारा 207 R T Act के तहत खारिज किये जाने योग्य है। इस आधार पर वादी (प्रतिवादी 2) द्वारा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निवेदन किया गया है कि वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे। प्रार्थनापत्र के प्रतिवादी (वादीगण) द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीगण की माता मोती जी की पुत्री है, जो साक्ष्य से वादीगण सिद्ध करेंगे। बहस वकुलाय फरीकैन सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी (प्रतिवादी-2) द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि मृतक के इन्तकाल खिलाफ वाद पेश किया गया है, जो खारिज का मुकदमा भी किया था, जो खातेदार थे, हो चुका है। मोतीलाल जी खातेदार थे, उनके पत्नी नाम की कोई पुत्री नहीं है। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी (वादी) द्वारा निवेदन किया गया कि तामील से जानकारी हुई कि सुरजपाल का देहान्त हो चुका है, जानकारी होते ही कायम मुकामात का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया। यह त्रुटि	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	हमारे विनम्र मत में प्रश्नगत प्रकरण में श्री 08/02/2016 को दावा पेश किया गया, खातेदार का देहान्त 16/12/2015 को हो चुका था, तामील की जानकारी उपरान्त 11/04/2016 को कायम मुकामात का प्रार्थनापत्र पेश कर दिया गया था। उक्त परिस्थितियों में उक्त त्रुटि सद्भावी प्रतीत होती है। साथ ही पत्नी बाई नामक खातेदार के कोई पुत्री थी या नहीं, यह तथ्य विवादित साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित किया जा सकेगा। उक्त परिस्थितियों में इस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R11 को अस्वीकार किया जाना तथा प्रार्थनापत्र बाबत कायम मुकामात स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R11 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है, तथा मृतक

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जिस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/	सद्भावी है तथा शून्य है। इस हेतु न्यायिक दृष्टान्त 2016-17 RRT 525 प्रस्तुत किया गया। न्यायिक दृष्टान्त से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त प्रकरण के पैरा नं. 9 में वर्णित किया गया है कि -" राजस्व मण्डल ने निगरानी संख्या 434/2017 उनवानी 'जगदेव सिंह बनाम रेशम सिंह' के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि दावा दायर करने से पूर्व अगर कुछ पक्षकारान की मृत्यु हो जाती है एवं मृत हुए व्यक्तियों के खिलाफ दावा प्रस्तुत कर दिया जाता है तो यह एक सद्भावी त्रुटि है जिसे यथाशीघ्र संशोधित किया जा सकता है। इसी प्रकार RBJ 2016 पृष्ठ 25 में यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत दावा प्रारम्भ से ही अवैध तथा शून्य है किन्तु इसी निर्णय के पैरा नं. 13 में यह अंकित किया है कि अगर कोई त्रुटि सद्भावी है तो उसे दुरुस्त किया जा सकता है।"	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/	खुरपाल के वारीशान को रिकार्ड पर लिए जाने का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, खुरपाल के वारीशान को रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित टाइटल 5/2/25 को पेश हो। 27/1/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा	

उपखण्ड अधिकारी कोटा